रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 18, 2013/फाल्गुन 27, 1934
No. 141] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 2013/PHALGUNA 27, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2013

सा.का.नि. 176(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, अनुसूची I, में, क्रम संख्याक 89 "पटाखों के लिए शोर मानक", पैरा "ग" में "विस्फोटक विभाग" शब्दों के स्थान पर "पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन" शब्दों को रखा जाएगा ।

[फा. सं. क्यू-15017/10/2012-सीपी डब्ल्यू]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पणी : मूल नियम भारत क राजपत्र में संख्यांक का.आ. 844(अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अधिसूचना संख्याकों सा.का.नि. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 01(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010; सा.का.नि. 61(अ), तारीख 5 फरवरी, 2010, सा.का.नि. 485(अ), तारीख 9 जून, 2010; सा.का.नि. 608(अ), तारीख 21 जुलाई, 2010; सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2010; सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2010; सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. 354(अ), तारीख 02 मई, 2011; सा.का.नि. 424(अ), तारीख 01 जून 2011; सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सा.का.नि. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012 और सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2012 के द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2013

G.S.R. 176(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, in serial number 89 relating to "Noise standards for fire-crackers", in paragraph C, for the words "The Department of Explosives", the words "Petroleum and Explosives Safety Organization" shall be substituted.

[F. No. Q-15017/10/2012-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 01 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R. 61 (E), dated the 5th February, 2010; G.S.R. 485 (E), dated the 9th June, 2010; G.S.R. 608 (E) , dated the 21st July, 2010; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; G.S.R. 277 (E); dated the 31st March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012.

Internet Copy

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.